भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/पीपी&जीआर/सीआईआर/विविध/164/8/2023 15 सितम्बर, 2023
Ref no.: IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/164/8/2023 15th September, 2023

परिपत्र
Circular

प्रति/To,
सभी बीमाकर्ता और बीमा मध्यवर्ती
All Insurers and Insurance Intermediaries

विषयः अयाचित वाणिज्यिक संचार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए टीआरएआई से निदेश
Re: Directions from TRAI for Curbing the menace of Unsolicited Commercial Communication

आईआरडीएआई को अयाचित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में अध्यक्ष, टीआरएआई (दी टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी आफ इंडिया) से एक पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2023 प्राप्त हुआ है।

IRDAI has received a letter dated 8th August, 2023 from the Chairman, TRAI (The Telecom Regulatory Authority of India) against the backdrop of actions to be taken to curb the menace of Unsolicited Commercial Communication (UCC).

टीआरएआई ने धोखाधड़ी करनेवालों के द्वारा, जिन्होंने ऐसे तत्वों तक पहुँच प्राप्त की हो, दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रधान संस्थाओं के द्वारा हेडरों और संदेश टेम्प्लेटों के सत्यापन के संबंध मे निदेश जारी किये हैं। अतिरिक्त रूप से, उक्त प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जिससे केवल वास्तविक सूचना ही उपभोक्ताओं तक पहुँच सके, टीआरएआई ने निम्नलिखित निदेश जारी किये हैं जिन्हें प्रधान संस्थाओं द्वारा अपने दूरविपणनकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करते हुए कार्यान्वित करने की आवश्यकता है:

TRAI has issued directions with regard to the verification of Headers and Message Templates by Principal Entities to prevent misuse by fraudsters who've gained access to such elements. Additionally, in order to strengthen the process so that only genuine communication go to the consumers, TRAI has issued the following directions which need to be implemented by the Principal Entities (Senders of Commercial Communication) in coordination with their Telemarketers / Service Providers:

क) पीईएस के द्वारा यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/काल बैक संख्याओं को सूचीबद्ध करते समयः यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किये गये हैं कि विषय-वस्तु (कंटेंट) टेम्प्लेट में केवल वाइटलिस्ट की गई यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/काल बैक संख्याओं को ही अनुमति दी जाए। अन्य यूआरएल/एपीके/ओटीटी लिंक/काल बैक संख्याओं को आगे प्रेषित करने से रोक दिया जाएगा। संदेश विषय-वस्तु (कंटेंट) टेम्प्लेटों में प्रयुक्त किये जानेवाले परिवर्तियों, यदि कोई हों, को उन्हें प्रयुक्त किये जानेवाले प्रयोजन के लिए पूर्व-अंकित (प्री-टैग्ड) करने की आवश्यकता है जिससे उनके दुरुपयोग से बचा जा सके।

a) Whitelisting of URLs/Apks/OTT links/call back numbers by PEs- Directions have been issued to ensure that only whitelisted URLs/Apks/OTT links/Call back numbers are allowed in the content template. Messages containing other URLs/Apks/OTT links/Call back numbers shall be stopped from further transmission. Variables if any, being used in the message content templates, need to be pre-tagged for the purpose they are to be used so as to avoid misuse

ख) डिजिटल सहमति प्राप्ति (डीसीए) - सभी प्रवेश प्रदाता सभी सेवा प्रदाताओं और प्रधान संस्थाओं के बीच डिजिटल तौर पर ग्राहकों की सहमति दर्ज करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म के निर्माण हेतु डिजिटल सहमति प्राप्ति (डीसीए) सुविधा विकसित और प्रयुक्त करें। पुष्टीकरण की सुगमता और दुरुपयोग के निवारण के लिए उपभोक्ता विषय-वस्तु (कंटेंट) की किसी अन्य व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, पीईएस के लिए अपने सेंवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करते हुए अपने उपभोक्ताओं की डिजिटल सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

b) Digital Consent acquisition (DCA) - All Access Providers to develop and employ the Digital Consent Acquisition (DCA) facility for creating a unified platform to register customers consent digitally across all Service Providers and Principal Entities. No other mechanism of consumer content shall be accepted for ease of confirmation and prevention of misuse. Accordingly, PEs need to acquire digital consent of their consumers in co-ordination with their service providers

ग) टीआरएआई द्वारा जारी किये गये दिनांक 12.5.2023, 16.2.2023 और 2.6.2023 के निदेशों, जो सभी प्रवेश प्रदाताओं को जारी किये गये थे, की प्रतियाँ संलग्न की गई हैं।

c) Copies of the Directions issued by TRAI dated 12.5.2023, 16.2.2023 & 2.6.2023 which were issued to all Access Providers, have been enclosed.

सभी बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्गत निदेशों के प्रति ध्यान दें और कड़ाई से इनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

All the Insurers and Insurance Intermediaries, are requested to take note of the issued directions and ensure strict compliance.

महाप्रबंधक / General Manager